Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.gisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2025 GISRRJ | Volume 8 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095
doi : https://doi.org/10.32628/GISRRJ258224

पंचायत प्रतिनिधियों में उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन

[1]रजनीकांत साहू , [2] डॉ. अनिता समल
[1]शोधार्थी, [2]प्रोफेसर
[1,2] राजनीति शास्त्र विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Article Info
Volume 8, Issue 1

Page Number : 277-280

Publication Issue :
January-February-2025

Article History
Accepted : 01 Jan 2025
Published : 05 Feb 2025

सारांश

भारत के पंचायती राज संस्थान स्थानीय शासन के सबसे महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिन्हें 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। इन संस्थानों की कार्यक्षमता पंचायत प्रतिनिधियों की संवैधानिक अधिकारों की जानकारी पर आधारित होती है। प्रस्तुत अध्ययन मोहला-मानपुर-अम्बागढ़-चौकी ज़िले के तीन स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों — जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत — की संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक विश्लेषण करता है। शोध में 400 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, जिनमें से 11 जिला, 50 जनपद तथा 339 ग्राम पंचायत से संबंधित हैं। आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत तथा काई-स्क्वायर परीक्षण के माध्यम से किया गया। परिणाम से यह स्पष्ट हुआ कि पंचायत स्तर के अनुसार जागरूकता का स्तर भिन्न है तथा यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों में अपेक्षाकृत कम जागरूकता देखी गई, जो प्रशिक्षण की न्यूनता, सूचना की सीमित पहुँच एवं संसाधनों की असमान उपलब्धता को इंगित करता है। जनपद एवं जिला पंचायत प्रतिनिधियों की जागरूकता उच्च स्तर पर पाई गई, जो उनके प्रशासनिक अनुभव और निर्णयात्मक भागीदारी से जुड़ी प्रतीत होती है। अध्ययन स्थानीय शासन व्यवस्था की प्रभावशीलता में संवैधानिक जानकारी के महत्व को रेखांकित करता है।

सूचक शब्द : *पंचायती राज संस्थान, संवैधानिक अधिकार, पंचायत प्रतिनिधि, जागरूकता, काई-स्क्वायर विश्लेषण, स्थानीय शासन*

1. प्रस्तावना

भारत में लोकतंत्र की जड़ें स्थानीय शासन संस्थानों में गहराई तक फैली हुई हैं। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसने ग्राम स्वराज की परिकल्पना को सशक्त

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License

रूप प्रदान किया। पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढाँचा – ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत – स्थानीय प्रशासनिक संचालन, योजना निर्माण, तथा संसाधनों के वितरण का प्रमुख आधार है।

पंचायत प्रतिनिधियों को संविधान के अनुच्छेद 243 से 243-O तक विभिन्न अधिकार प्राप्त हैं, जैसे योजनाओं की अनुशंसा, स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान, बजट पारदर्शिता, कार्य निष्पादन की निगरानी, इत्यादि। परंतु इन अधिकारों के समुचित प्रयोग की पहली शर्त है – उनकी जानकारी। प्रतिनिधियों में अधिकार जागरूकता की स्थिति जितनी बेहतर होगी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण उतना ही प्रभावी होगा।

छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले मोहला–मानपुर–अम्बागढ़–चौकी में पंचायती राज की बुनियादी संरचना नई ऊर्जा के साथ विकसित हो रही है। यहाँ की सामाजिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक विविधता इस अध्ययन को प्रासंगिक बनाती है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि पंचायत प्रतिनिधि — विशेषतः तीनों स्तरों पर — अपने संवैधानिक अधिकारों से कितने परिचित हैं और क्या यह जागरूकता पंचायत स्तर के अनुसार भिन्न है।

2. समीक्षित साहित्य

पंचायती राज प्रतिनिधियों की संवैधानिक जागरूकता पर विभिन्न विद्वानों ने अध्ययन किया है। **कौशिक एवं साहू (2020)** ने छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायतों में कार्यरत प्रतिनिधियों की जानकारी को सीमित पाया तथा प्रशिक्षण की कमी को इसका मुख्य कारण बताया। **देसाई (2018)** ने महाराष्ट्र में किया गया अध्ययन प्रस्तुत किया, जहाँ जनपद पंचायत स्तर पर अधिकारों की जानकारी अपेक्षाकृत अधिक पाई गई।

एनआईआरडी (2017) की रिपोर्ट में पाया गया कि जिन प्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल में न्यूनतम दो बार प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, उनमें योजनाओं की समझ और निगरानी की दक्षता बेहतर थी। **शाह एवं मेहता (2016)** के अनुसार, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि अक्सर नियमावली और अधिकार संबंधी दस्तावेजों की तकनीकी भाषा से अपरिचित होते हैं, जिससे जागरूकता की कमी रहती है।

हालांकि कुछ शोधों में पंचायत स्तर की तुलना की गई है, परंतु नवगठित जिलों में विशेष रूप से अधिकार जागरूकता पर तुलनात्मक सांख्यिकीय अध्ययन की न्यूनता परिलक्षित होती है। अतः यह शोध साहित्य में एक नवीन योगदान प्रस्तुत करता है।

अध्याय 3: शोध विधि

3.1 शोध का प्रकार

प्रस्तुत अध्ययन का स्वरूप वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति पर आधारित है, जो सामाजिक विज्ञानों में सर्वाधिक उपयुक्त एवं व्यापक रूप से स्वीकृत विधि मानी जाती है। इस विधि के अंतर्गत किसी विशेष समूह या समुदाय की वर्तमान स्थिति, व्यवहार, दृष्टिकोण एवं अनुभवों का निरीक्षण कर वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। चूँकि इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों की संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता को जानना है, अतः यह विधि पूर्णतः उपयुक्त है। यह पद्धति शोध समस्या की प्रकृति को समझने और तुलनात्मक विश्लेषण करने में सहायक सिद्ध हुई है।

3.2 शोध क्षेत्र

शोध क्षेत्र के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के नवगठित मोहला–मानपुर–अम्बागढ़–चौकी ज़िले का चयन किया गया है, जिसकी स्थापना वर्ष 2022 में हुई थी। यह जिला भौगोलिक रूप से वनांचल, जनजातीय तथा सीमावर्ती क्षेत्र है, जहाँ पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस जिले में तीनों स्तरों — जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत — की स्पष्ट प्रशासनिक संरचना है। शोध क्षेत्र का चयन इस कारण किया गया क्योंकि यह क्षेत्र प्रशासनिक रूप से नया है, और यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों की जागरूकता का अध्ययन नीति-निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण संकेत दे सकता है।

3.3 जनसंख्या

इस अध्ययन की लक्षित जनसंख्या मोहला–मानपुर–अम्बागढ़–चौकी जिले के वर्तमान कार्यरत पंचायत प्रतिनिधि हैं। इसमें तीनों स्तरों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है:

- जिला पंचायत: 11 प्रतिनिधि
- जनपद पंचायत: 50 प्रतिनिधि
- ग्राम पंचायत: 339 प्रतिनिधि इस प्रकार कुल लक्षित जनसंख्या 400 प्रतिनिधियों की रही। ये सभी प्रतिनिधि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निर्वाचित होकर अपने-अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं।

3.4 नमूना एवं नमूना चयन विधि

शोध के लिए **स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना विधि** का प्रयोग किया गया। चूँकि प्रतिनिधियों की संख्या पंचायत स्तरों के अनुसार भिन्न है, अतः समुचित प्रतिनिधित्व हेतु तीन स्तरों को तीन स्वतंत्र स्तरीकरणों के रूप में लिया गया। प्रत्येक स्तर से यादृच्छिक रूप से उत्तरदाताओं का चयन किया गया, ताकि पूर्वाग्रह से रहित निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकें।

- ग्राम पंचायत से 339 प्रतिनिधियों में से चयन
- जनपद पंचायत से 50 में से
- जिला पंचायत से 11 में से सभी को सम्मिलित किया गया यह पद्धति जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखते हुए सभी स्तरों से तुलनात्मक विश्लेषण को सक्षम बनाती है।

3.5 शोध उपकरण

शोध के लिए प्रमुख उपकरण के रूप में प्रश्नावली का प्रयोग किया गया, जिसमें कुल 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित किए गए। यह प्रश्नावली विशेष रूप से संविधानिक अधिकारों की जानकारी मापने हेतु विकसित की गई। प्रश्नावली के प्रश्न सरल, स्पष्ट और पंचायत प्रतिनिधियों की समझ के अनुरूप तैयार किए गए। प्रश्नों का निर्माण पंचायत अधिनियम, 73वां संशोधन अधिनियम तथा राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर किया गया। उत्तर विकल्पों के आधार पर अंकन की पद्धति अपनाई गई।

3.6 उपकरण की वैधता एवं विश्वसनीयता

प्रश्नावली की वैधता सुनिश्चित करने हेतु विषय विशेषज्ञों (शिक्षाशास्त्री, समाजशास्त्री एवं प्रशासनिक अधिकारी) से सुझाव प्राप्त किए गए। सभी प्रश्नों की भाषा, वस्तुनिष्ठता एवं प्रासंगिकता की समीक्षा के बाद आवश्यक संशोधन किए गए। विश्वसनीयता की जाँच हेतु 40 प्रतिनिधियों पर एक प्रारंभिक परीक्षण किया गया, जिसके उपरांत क्रोनबाक अल्फा विधि से विश्वसनीयता सूचकांक 0.84 पाया गया, जो स्वीकार्य स्तर का संकेतक है।

3.7 आंकड़ा संकलन प्रक्रिया

आंकड़ों का संकलन फील्ड वर्क के माध्यम से किया गया, जिसमें शोधकर्ता एवं सहायक कर्मचारी गाँवों, जनपद कार्यालयों तथा जिला पंचायत मुख्यालय गए। प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार एवं स्व-भरी गई प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई। कुछ साक्षात्कार मोबाइल व वॉइस रिकॉर्डर की सहायता से लिए गए, विशेषकर जहाँ साक्षरता का स्तर कम था। इस प्रक्रिया में स्थानीय पंचायत सचिवों एवं अधिकारियों का सहयोग भी लिया गया जिससे डेटा संग्रहण अधिक प्रामाणिक बन सके।

3.8 सांख्यिकीय तकनीक

प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक एवं निष्कर्षात्मक सांख्यिकी द्वारा किया गया। वर्णनात्मक विश्लेषण के लिए प्रतिशत एवं अनुपात का प्रयोग किया गया, जिससे प्रतिनिधियों की जागरूकता के स्तर को समझा गया। निष्कर्षात्मक विश्लेषण हेतु काई-स्क्वायर परीक्षण का प्रयोग किया गया ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि पंचायत स्तरों के अनुसार जागरूकता में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं। सभी गणनाएँ एक्सेल एवं एसपीएसएस सॉफ़्टवेयर की सहायता से की गईं।

3.9 परिकल्पना

शून्य परिकल्पना (H_{01}) इस प्रकार निर्धारित की गई: *"पंचायत प्रतिनिधियों में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पंचायत स्तर (जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत) के अनुसार भिन्न नहीं होगी।"* इस परिकल्पना का परीक्षण काई-स्क्वायर परीक्षण के माध्यम से किया गया।

4. विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका 1

पंचायत स्तर के अनुसार संवैधानिक अधिकारों की जागरूकता

पंचायत स्तर	कुल प्रतिनिधि	जागरूक	प्रतिशत (%)
जिला पंचायत	11	10	90.91%
जनपद पंचायत	50	48	96.00%
ग्राम पंचायत	339	278	82.01%

जनपद पंचायत प्रतिनिधियों की जागरूकता सर्वाधिक पाई गई। यह संभवतः उनके उच्चतर शैक्षणिक स्तर, प्रशिक्षण सुविधा एवं प्रशासनिक भागीदारी के कारण है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की जागरूकता तुलनात्मक रूप से कम है, जिससे उनके क्षमता निर्माण की आवश्यकता रेखांकित होती है।

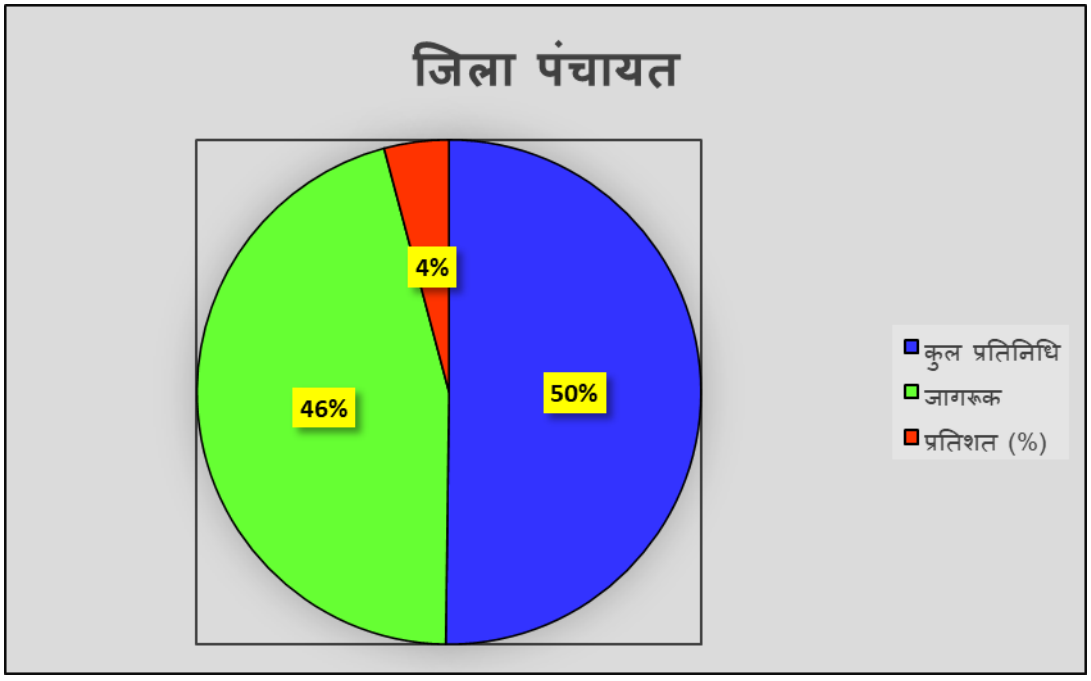

तालिका 2

काई-स्क्वायर परीक्षण

पंचायत स्तर	वास्तविक जागरूक	अपेक्षित जागरूक
जिला पंचायत	10	9.24
जनपद पंचायत	48	42.00
ग्राम पंचायत	278	284.76

शोध में प्राप्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि पंचायत प्रतिनिधियों में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर पंचायत स्तर के अनुसार भिन्न है। जनपद पंचायत प्रतिनिधि सर्वाधिक जागरूक पाए गए, जिनकी प्रशासनिक भूमिका तथा सूचना स्रोतों तक पहुँच अधिक होती है। वहीं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की जागरूकता अपेक्षाकृत कम पाई गई, जो नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

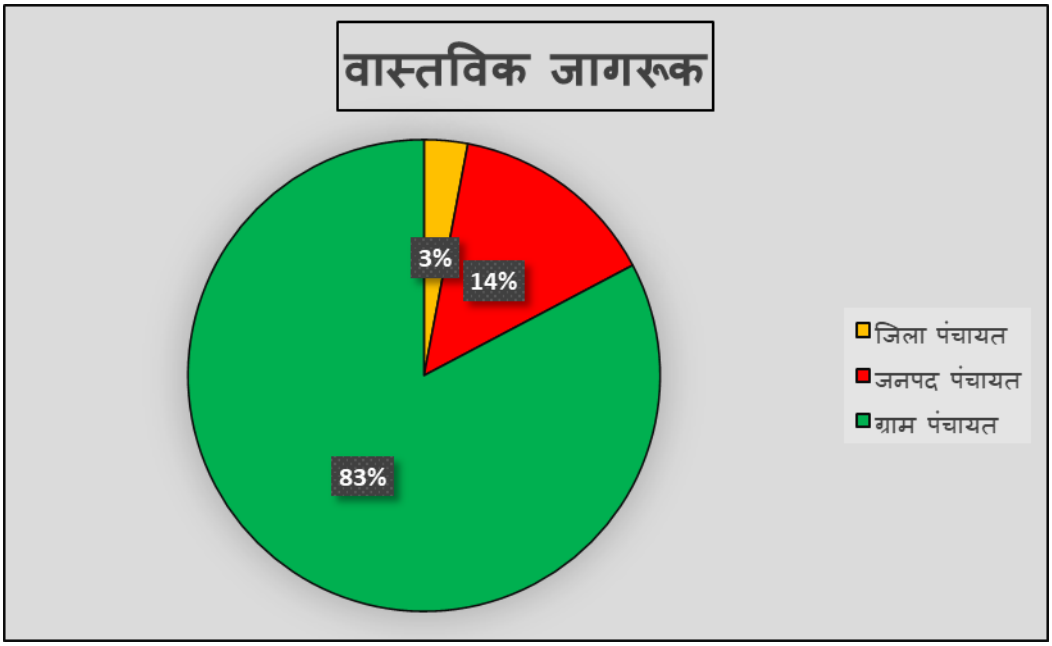

6. सुझाव

1. ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं।
2. पंचायत स्तर पर अधिकार-संहिता का वितरण किया जाए।
3. डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म (जैसे मोबाइल ऐप) के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए।
4. जनपद एवं जिला प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायतों के सहयोगी संरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए।

7. संदर्भ सूची

[1]. Kaushik, A., & Sahu, P. (2020). Panchayat Rights Awareness among Elected Representatives in Chhattisgarh. *Indian Journal of Local Governance*, 25(2), 134–148.

[2]. Desai, R. (2018). Awareness of Constitutional Provisions among Panchayat Representatives in Maharashtra. *Journal of Rural Studies*, 33(1), 66–72.

[3]. National Institute of Rural Development. (2017). *Training Effectiveness in Panchayati Raj Institutions*. Hyderabad: NIRD&PR.

[4]. Shah, V., & Mehta, R. (2016). Local Governance and Empowerment: A Study of Gram Panchayats. *Administrative Research Review*, 22(4), 201–215.

[5]. Government of India. (1992). *The 73rd Amendment of the Indian Constitution*. Ministry of Law and Justice.